प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया 20.12.2024

आदेश पारित किया गया 19.03.2025

रिट याचिका (सेवा) 2148/ 2018

मो. मजहर खान, पिता स्वर्गीय अमीर मोहम्मद, उम्र लगभग 40 वर्ष, मुख्य आरक्षक (टी/सी) निवासी पुलिस क्वार्टर नं. ई/104, एम.टी./वर्कशॉप के पास पुलिस लाइन, पोस्ट व थाना बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 – भारत संघ, द्वारा सचिव, निर्माण, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, निर्माण और प्रशिक्षण विभाग।

2 – छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।

3 – मध्य प्रदेश राज्य, सचिव, गृह विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल (म. प्र.)।

––– उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु : श्री सोमकांत वर्मा, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 1 हेतु : श्री रमाकांत मिश्रा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

प्रत्यर्थी क्रमांक 2 हेतु : श्री शैलेंद्र शर्मा, पैनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद

सी. ए. वी. आदेश

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सोमकांत वर्मा और भारत संघ/उत्तरवादी क्रमांक 1 के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री रमाकांत मिश्रा और राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता श्री शैलेंद्र शर्मा को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता ने दिनांक 16.02.2017 के आक्षेपित आदेश की अवैधता और वैधता को चुनौती दी है जिसके तहत उत्तरवादी क्रमांक 1 ने याचिकाकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश राज्य में अपनी सेवा आवंटित करने के लिए दायर किए गए अभ्यावेदन को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष के साथ वर्तमान रिट याचिका दायर की है:–

> "10.1 यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा पारित दिनांक 16.02.2017 (अनुलग्नक पी–1) के आक्षेपित आदेश को निरस्त करने की कृपा करे तथा उत्तरवादी क्रमांक 1 को निर्धारित अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के प्रकरण पर पुनर्विचार करने का निर्देश दे।
>
> 10.2 कोई अन्य अनुतोष, जिसे इस माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझा जाए, भी याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदान की जा सकती है।"

3. इस रिट याचिका के निपटारे के लिए संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता पुलिस विभाग का कर्मचारी है तथा वर्तमान में बिलासपुर में पुलिस अधीक्षक (टी/सी) में आरक्षक (दूरसंचार) के पद पर कार्यरत है। याचिकाकर्ता के अनुसार वह मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी है तथा उसकी पत्नी श्रीमती अंजुम बानो भी मध्य प्रदेश राज्य में शासकीय कर्मचारी है। श्री अजीत कुमार खेस, जो छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी है, मध्य प्रदेश राज्य में बालाघाट में मुख्य आरक्षक (रेडियो) के पद पर कार्यरत था तथा दोनों आपसी आधार पर अपनी–अपनी सेवाओं का आवंटन अपने–अपने राज्यों में चाहते हैं, उन्होंने इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य के समक्ष दिनांक 25/27.03.2008 को एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया, जिसका उनके शपथपत्रों द्वारा विधिवत समर्थन किया गया। उक्त आवेदन प्राप्त होने पर, इसे मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.04.2008 के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य को अग्रेषित किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के उक्त संयुक्त आवेदन को पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.08.2008 के माध्यम से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस बल की कमी है और यदि याचिकाकर्ता को आवंटन पर मध्य प्रदेश राज्य में जाने की अनुमति दी जाती है, तो नक्सल विरोधी अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. उक्त आवेदन के खारिज होने से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष 2011 की डब्ल्यूपीएस क्रमांक 221 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसका इस न्यायालय ने दिनांक 17.09.2013 के आदेश के अधीन निपटारा कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को दिनांक 17.09.2013 के आदेश से दो सप्ताह के भीतर उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष एक नया विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल करने की अनुमति दी गई और याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई अभ्यावेदन दाखिल करने की स्थिति में, उस

पर उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा विधि के अनुसार दो महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर निर्णय लिया जा सकता है।

5. तत्पश्चात दिनांक 07.02.2015 को याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा उचित विचार–विमर्श के पश्चात दिनांक 16.02.2017 को संबंधित प्राधिकारी/उत्तरवादी क्रमांक 1 ने याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि "समिति ने पाया कि श्री खान की पत्नी की नियुक्ति आवंटन के लिए नियत तिथि अर्थात 01.11.2000 के बाद हुई थी तथा वे मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन के समय शासकीय सेवा में नहीं थीं, इसलिए समिति ने उनके अभ्यावेदन को खारिज करने की अनुशंसा की", जिसे वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सोमकांत वर्मा ने कहा कि उत्तरवादी क्रमांक 1 की कार्यवाही अवैध और मनमानी है और साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन भी है क्योंकि अधिकारियों ने समान स्थिति वाले कर्मचारियों की सेवाओं को आवंटित किया है, लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ता के प्रकरण पर विचार नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष 2011 की डब्ल्यूपीएस क्रमांक 221 के तहत एक रिट याचिका दायर की थी, जिसका इस न्यायालय ने निपटारा कर दिया था और उत्तरवादी अधिकारी को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन उत्तरवादी क्रमांक 1 ने याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया है, जबकि कर्मचारियों की संख्या आपसी सहमति के आधार पर आवंटित की गई थी। यह तर्क दिया गया है कि एक बार जब दिनांक 29.04.2008 के पत्र द्वारा, राज्य अधिकारियों ने दिनांक 14.08.2014 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता की सेवा के आपसी आधार पर आवंटन के लिए सहमति दे दी है, तो वे याचिकाकर्ता को मना नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पहले ही छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में उसकी सेवा के आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में "अनापत्ति" दे दी है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 1 के समक्ष विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया, हालांकि, इसने सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया और याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को खारिज करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया, जो विधि की दृष्टि से अनुचित है और इसलिए, दिनांक 16.02.2017 का आक्षेपित आदेश निरस्त करने योग्य है। उन्होंने **सचिव और निरीक्षक, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाम हावड़ा गणतंत्र नागरिक समिति और अन्य (2010) 3 एससीसी 732** में प्रतिवेदित प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का अवलंब लिया।

7. दूसरी ओर, भारत संघ/उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री रमाकांत मिश्रा ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के 24 वर्षों के बाद, याचिकाकर्ता की सेवाओं को मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित करने

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की प्रार्थना, प्रथम दृष्टया, समय से परे प्रतीत होती है, क्योंकि समय बीतने के कारण, याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता है।

8. मैंने संबंधित पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुना और उन पर विचार किया है तथा रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

9. इस स्तर पर, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68 में निहित प्रावधानों का संदर्भ लेना उचित होगा, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है: –

> ""68. . मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सेवाओं से संबंधित उपबंध – (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तिथि के ठीक पहले विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवा कर रहा हो, उस दिन से ही, जब तक केन्द्रीय सरकार के किसी साधारण या विशिष्ट आदेश द्वारा उससे अनंतिम रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवा करने की अपेक्षा न की जाए, अनंतिम रूप से मध्य प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवा करता रहेगा :
>
> परन्तु इस धारा के अधीन कोई निदेश नियत दिन से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा।
>
> (2) नियत दिन के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा वह उत्तरवर्ती राज्य, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति सेवा के लिए अंतिम रूप से आबंटित होगा और वह तारीख जिससे ऐसा आवंटन प्रभावी होगा या प्रभावी हुआ समझा जाएगा, निर्धारित करेगी।
>
> (3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन अंतिम रूप से किसी उत्तरवर्ती राज्य को आबंटित किया जाता है, यदि वह पहले से उस राज्य में सेवा नहीं कर रहा है, ऐसी तारीख से जो संबंधित सरकारों के बीच करार पाई जाए या ऐसे किसी करार के अभाव में, उस तारीख से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, उत्तरवर्ती राज्य में सेवा करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
>
> परन्तु इस धारा के अधीन कोई निदेश नियत दिन से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा। "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के सचिव एवं निरीक्षक (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया है:–

"40 यह एक स्थापित विधि प्रस्ताव है कि न केवल प्रशासनिक बल्कि न्यायिक आदेश भी उसमें दर्ज कारणों द्वारा समर्थित होना चाहिए, इस प्रकार, किसी विवाद्यक पर निर्णय लेते समय, न्यायालय अपने निष्कर्ष के लिए कारण बताने के लिए बाध्य है। प्रकरण का निपटारा करते समय कारणों को दर्ज करना न्यायालय का कर्तव्य और दायित्व है। न्यायिक मंच द्वारा किसी आदेश और न्यायिक शक्ति के प्रयोग की पहचान अपने कारणों को स्वयं प्रकट करना है और कारणों को बताने पर हमेशा से ही जोर दिया गया है, ताकि यह पता चल सके कि न्यायालय के समक्ष विवाद्यक पर उचित और उपयुक्त विचार किया गया है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की एक अनिवार्य आवश्यकता भी है। "निर्णय के लिए कारण बताना न्यायालयों के समक्ष किसी प्रकरण के न्यायिक और विवेकपूर्ण निपटान का एक आवश्यक गुण है, और यह किए गए प्रयोग के तरीके और गुणवत्ता के बारे में जानने का एकमात्र संकेत है, साथ ही यह तथ्य भी है कि संबंधित न्यायालय ने क्या किया था। वास्तव में अपना दिमाग लगाया" [देखें उड़ीसा राज्य बनाम धनीराम लुहार एआईआर 2004 एससी 1794; और राजस्थान राज्य बनाम सोहन लाल और अन्य (2004) 5 एससीसी 573]।

41. तर्क हर निष्कर्ष तक पहुचने का सार है। यह किसी आदेश में स्पष्टता लाता है और इसके बिना वह निर्जीव हो जाता है। तर्क व्यक्तिपरकता की जगह वस्तुनिष्ठता ले लेते हैं। तर्कों के अभाव में आदेश अप्रतिरोध्य/अस्थायी हो जाता है, खासकर तब जब आदेश को उच्च मंच के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। [देखें राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य एआईआर 2003 एससी 4664; विष्णु देव शर्मा बनाम यूपी राज्य (2008) 3 एससीसी 172; सेल बनाम एसटीओ (2008) 9 एससीसी 407; उत्तरांचल राज्य बनाम सुनील कुमार सिंह नेगी एआईआर 2008 एससी 2026; यूपीएसआरटीसी बनाम जगदीश प्रसाद गुप्ता एआईआर 2009 एससी 2328; राम फल बनाम हरियाणा राज्य (2009) 3 एससीसी 513; और एचपी राज्य बनाम सदा राम (2009) 4 एससीसी 422]।

42. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कारणों को दर्ज करना प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है और प्रत्येक न्यायिक आदेश को लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों द्वारा समर्थित होना चाहिए। यह निर्णय लेने में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। जिस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वह जान सकता है कि उसका आवेदन क्यों खारिज किया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.03.1999 को मध्य प्रदेश राज्य में अपनी सेवाएं शुरू कीं और मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन के बाद, उनकी सेवाएं नए राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य को सौंपी गईं, उनकी सेवाएं दिनांक 01.11.2000 से छत्तीसगढ़ राज्य में सौंपी गईं। याचिकाकर्ता और श्री अजीत कुमार खेस ने आपसी आधार पर अपनी सेवा के आवंटन के लिए

संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस महानिदेशक ने अपने आदेश दिनांक 19.08.2008 के अधीन इस आधार पर खारिज कर दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस बल की कमी है और यदि याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश राज्य में जाने की अनुमति दी जाती है, तो नक्सल विरोधी अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष 2011 की डब्ल्यूपीएस क्रमांक 221 के अधीन एक रिट याचिका दायर की, जिसका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2013 के आदेश के अधीन निपटारा कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता को एक नया विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल करने की अनुमति दी गई, जिस पर, दिनांक 07.02.2015 को याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और उचित विचार–विमर्श के बाद, दिनांक 16.02.2017 को संबंधित प्राधिकारी/उत्तरवादी क्रमांक 1 ने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया।

12. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जब भी किसी याचिका में मुख्य विवाद्यक के संबंध में दावा किये गये अनुतोष निरर्थक या निष्फल हो जाती है, तो अन्य अनुतोष के लिए न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है और यदि याचिकाकर्ता या उत्तरवादी के अधिकार संतुष्ट हो जाते हैं या परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उत्तरवादी के विरुद्ध कोई शिकायत लंबित नहीं रहती है, तो वह आगे नहीं बढ़ सकता है। न्यायालय कार्यवाही को समाप्त करने के लिए अपने विवेक का उपयोग कर सकता है और किसी प्रकरण में आगे नहीं बढ़ सकता है, भले ही शैक्षणिक प्रकृति की कुछ अनुतोष बचा हो।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मनोज कुमार बनाम भारत संघ और अन्य के प्रकरण में (2024) 3 एससीसी 563** में प्रतिवेदित किया, जबकि रिट याचिका में प्रार्थना के विवाद्यक पर विचार करते हुए समय बीतने के कारण अप्राप्य माना जाता है, निम्नलिखित माना है:–

> "20 हमारा मत है कि संवैधानिक न्यायालयों का प्राथमिक कर्तव्य सत्ता पर नियंत्रण रखना है, जिसमें प्रशासनिक कार्यवाहियों को अपास्त करना शामिल है जो अवैध या मनमाना हो सकता है, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ऐसे उपाय सत्ता के दुरुपयोग के दुष्परिणामों को अकेले संबोधित नहीं कर सकते हैं। न्यायालयों पर एक द्वितीयक उपाय के रूप में सर क्लाइव लुईस, न्यायिक उपचार इन पब्लिक लॉ (5 वां संस्करण, स्वीट और मैक्सवेल 2015) को संबोधित करना भी उतना ही आवश्यक है। एचडब्ल्यूआर वेड और सीएफ फोर्सिथ, प्रशासनिक कानून (11 वां संस्करण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2014) 596–597। पीटर केन, 'पब्लिक लॉ में क्षति' (1999) 9(3) ओटागो लॉ रिव्यू 489. हेनरी वूल्फ और अन्य, डी स्मिथ की न्यायिक समीक्षा (8 वां संस्करण, स्वीट और मैक्सवेल 2018) 1026–1027 मनमाने और अवैध कार्यों से उत्पन्न होने वाले हानिकारक परिणाम। घायलों को क्षतिपूर्ति देने के लिए उचित उपाय करने का यह सहवर्ती कर्तव्य हमारा व्यापक

संवैधानिक उद्देश्य है। हमने अपने संवैधानिक पाठ को इस तरह पढ़ा है और न्याय को सुरक्षित करने के अपने प्रस्तावना उद्देश्य के आधार पर हमने अपने मिसालों का निर्माण किया है।

21. सार्वजनिक विधि की कार्यवाही में, जब यह समझा जाता है कि रिट याचिका में प्रार्थना समय बीतने के कारण अप्राप्य है, तो संवैधानिक न्यायालय रिट कार्यवाही को उनकी कथित निरर्थकता के आधार पर खारिज नहीं कर सकते हैं। मुकदमेबाजी के जीवन में, समय बीतना सहयोगी और विरोधी दोनों के रूप में खड़ा हो सकता है। हमारा कर्तव्य समय की बाधाओं को पार करना और शक्ति के प्रयोग या मनमानी कार्यवाही को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए एक संवैधानिक न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य निभाना है। पहला कदम उठाने से, सार्वजनिक विधि की कार्यवाही का प्राथमिक उद्देश्य और प्रयोजन पूरा हो जाएगा।

22. दूसरा चरण पुनर्स्थापन से संबंधित है। यह एक अलग आयाम में संचालित होता है। उचित उपचारात्मक उपायों की पहचान और उनका अनुप्रयोग संवैधानिक न्यायालयों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जो काफी हद तक समय और सीमित संसाधनों के दोहरे चर के कारण है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अवैध या मनमानी कार्यवाही और उसके बाद न्यायालयों द्वारा की गई कार्यवाही के बीच का समय अंतराल प्रतिपूर्ति के प्रावधान में जटिलताएं लाता है। जैसे–जैसे समय बीतता है, व्यक्तियों की स्थिति, कब्जे और वादों में परिवर्तन होता है, जो सीधे तौर पर अनुतोष की प्रकृति को प्रभावित करता है जिसे तैयार किया जा सकता है और प्रदान किया जा सकता है।

24. अवैध रूप से आक्षेपित कार्यवाही और प्रतिपूर्ति के बीच समय अंतराल को पूर्ण करने में अंतर्निहित कठिनाई निश्चित रूप से विधि या विधिक न्यायशास्त्र के भीतर कमियों में निहित नहीं है, बल्कि प्रतिकूल न्यायिक प्रक्रिया में निहित प्रणालीगत विवाद्यकों में निहित है। रिट याचिका दायर करने, नोटिस की तामिली, प्रति–शपथपत्र दाखिल करने, अंतिम सुनवाई और फिर निर्णय की अंतिम आदेश से लेकर बाद की अपीलीय प्रक्रियाओं तक फैली लंबी समयसीमा देरी को बढ़ाती है।

25. उदाहरण के लिए इसी प्रकरण को लें, उत्तरवादी द्वारा नियुक्ति से इनकार करने के विरुद्ध रिट याचिका दिनांक 22.05.2017 को दायर की गई थी। रिट याचिका पर दिनांक 24.01.2018 को एकल न्यायाधीश द्वारा, दिनांक 16.10.2018 को खंडपीठ द्वारा निर्णय लिया गया, और फिर प्रकरण वर्ष 2019 में इस न्यायालय में लाया गया और हम इसे 2024 में तय कर रहे हैं। इस प्रकरण में देरी असामान्य नहीं है, हम ऐसे कई प्रकरण देखते

हैं जब हमारा अंतिम सुनवाई बोर्ड आगे बढ़ता है। दो दशकों से अधिक समय से अपील विचाराधीन हैं। यह परेशान करने वाला है लेकिन निश्चित रूप से हमारे परे नहीं है। हमें इस समस्या का समाधान अवश्य करना चाहिए और हम करेंगे।

26. इस वास्तविकता और वर्तमान परिस्थिति में हमें अंतिम निर्णय होने तक पक्षकारों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक उचित प्रणाली तैयार करनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, हम अनुचित कार्यवाही की प्रतिपूर्ति के लिए एक उचित समकक्ष भी तैयार कर सकते हैं।"

14. उपरोक्त कारणों से, सचिव और निरीक्षक, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयज विधि याचिकाकर्ता के लिए कोई सहायता नहीं करता है क्योंकि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर यह अलग–अलग है।

15. प्रकरण को समग्रता में ध्यान में रखते हुए तथा मनोज कुमार (पूर्वोक्त) प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कथन तथा विधि के इस सुस्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि जब भी किसी याचिका में मुख्य विवाद्यक के संबंध में दावा किया गया अनुतोष निरर्थक या निष्फल हो जाता है, तो अन्य अनुतोषों के लिए न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है तथा आगे कार्यवाही नहीं कर सकता है, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का प्रकरण बनाने में विफल रहा है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मुझे दिनांक 16.02.2017 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई पुख्ता आधार नहीं मिला क्योंकि प्रकरण में कुछ भी शेष नहीं है। रिट याचिका में कोई सार नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/–

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**